

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 156] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 23, 1973/वैशाख 3, 1895

No. 156] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 23, 1973/VAISAKHA 3, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April 1973

S. O. 243 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 29th day of April, 1973 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of section 76 and section 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Orissa, namely:—

“Bardal consisting of revenue village of Khaliapali, Tehsil Bargarh, District Sambalpur”

[No S-38013(22)/71-HI]

DAJIIT SINGH, Under Secy.

श्रम और पुरुषार्थ मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1973

क्र० प्र० 243(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अप्रैल, 1973 के 29वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उपधारा (i) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबन्ध उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“बारदोल जिसमें खालियापासी का राजस्व गांव, तहसील बारगढ़, जिला सम्बलपुर शामिल है।”

[संख्या एस-38013(22)/71-एच० आई०]

दलजीत सिंह, अवर सचिव ।